



Neutral Citation No. - 2026:AHC:53689

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 8954 वर्ष 2026

धर्मपाल

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : सुरेश धर द्विवेदी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेश धर द्विवेदी और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री कुंवर तेजेंद्र बहादुर को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को थाना रोजा, जिला शाहजहाँपुर में पंजीकृत केस क्राइम संख्या 609 वर्ष 2025, धारा 80(2), 85, 115(2) बी.एन.एस. और धारा 3/4 दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक मृतक का ससुर है और झूठे व सामान्य आरोपों के आधार पर उसे मृतक की सास श्रीमती रीमा @ सीमा के साथ वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया गया है।
4. उन्होंने आगे बताया कि मृतक की सास का जमानत आवेदन इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 8862 वर्ष 2026 में पारित आदेश दिनांक

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

16.03.2026 के माध्यम से स्वीकार किया जा चुका है और जहाँ तक आरोपों का प्रश्न है, आवेदक का मामला उनके समान ही है।

5. उन्होंने आगे तर्क दिया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी संकेत देती है कि मृतक की मृत्यु फांसी के कारण हुई है, इसलिए यह आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है। उन्होंने आगे बताया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 15.12.2025 से जेल में है।

6. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

7. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और मामले के अभिलेख का परिशीलन किया है।

8. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि आवेदक मृतक का ससुर है और उसके विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि मृतक की मृत्यु फांसी के कारण हुई है, एवं मृतक की सास श्रीमती रीमा @ सीमा को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है और आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह वर्तमान मामले में 15.12.2025 से जेल में है, मेरी राय में आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

9. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

10. आवेदक- **धर्मपाल** को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न मिल जाए।



(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को बताने से विमुख हो या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न करे।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

11. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ केवल जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

17 मार्च, 2026

शाहरोज़

(माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।